

न्यायालय :-वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय — बैहर

S.T.No./28/2017
Filing No. S.T./83/2017
CNR-MP5005-000210-2017
संस्थित दिनांक-08.10.2015

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी
जिला-बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन ।

// विरुद्ध //

लालमन पिता बिसाहू मरावी जाति गोण्ड उम्र 55 वर्ष
निवासी-ग्राम खिरसाड़ी थाना गढ़ी
जिला-बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियुक्त ।

=====

श्री अभिजीत बापट, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन ।
श्री सुनिल बेले अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ।

=====

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 28 जून 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त लालमन के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 376(1), 506 भाग-दो, 323 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 18.02.2015 को शाम करीब 6-7 बजे ग्राम आमगहन जंगल की झोपड़ी अंतर्गत थाना गढ़ी में अभियोक्त्री को (जिसका नाम रेसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* एवं साक्षी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 3566 तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को स्थानीय जंगल के वन विभाग के कैम्प की झोपड़ी में ले जाकर, अभियोक्त्री को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया तथा स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं आपराधिक अभित्रास कारित करने का भी आरोप है।

2. अभियोजन का मामला यह है कि अभियोक्त्री ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 18.02.2015 को उसका जीजा लालमन ग्राम खिरसाड़ी से मांदी खबर देने समरिया उनके घर आया था, उस समय घर पर पति व बच्चे थे तब लालमन उनके घर रात रूक गया। दूसरे दिन अभियोक्त्री के पुत्र की तबीयत खराब होने के कारण उसके पति तुलाराम उसे जैतपुरी ले गये तब लालमन मांदी के काम में मदद करने का बोला तो वह साथ में जाने तैयार हो गई, जीप से ग्राम आमगहन तक बैठकर गये और वहां जीजा ने उतरने कहा, आमगहन रोड से कुछ दूरी पर लालमन की झोपड़ी थी, लालमन ने कहा वहाँ सायकल रखी है तो वह उसके साथ झोपड़ी की तरफ चली गई, जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंची तो लालमन ने उसे पकड़ लिया, वह चिल्लाई तो चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, पति तुलाराम दूढ़ते हुए झोपड़ी तरफ आया तो लालमन पति को देखकर वहां से भाग गया, की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में अपराध क्रमांक 14/2015 अंतर्गत धारा 376, 323, 506 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। अभियोक्त्री की निशादेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया, साक्षीगण के कथन अभिलिखित किए गए, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया तथा अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए गए एवं आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। सम्यक् विवेचना उपरांत अभियोगपत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण एवं अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से अस्वीकार किया है। उसका यह बचाव है कि वह निर्दोष है। तुलाराम के कहने पर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे प्रस्तुत प्रकरण में

झूठा फंसाया गया है।

4. अवधार्य प्रश्न :-

1. क्या घटना दिनांक 18.02.2015 को शाम करीब 6-7 बजे ग्राम आमगहन के स्थानीय जंगल में वन विभाग के कैम्प की झोपड़ी अंतर्गत थाना गढ़ी में अभियोक्त्री को ले जाया जाकर उसके साथ बलात्संग कारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय, स्थान पर आरोपी ने अभियोक्त्री को चाकू से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय, स्थान पर आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 का निष्कर्ष :-

5. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने आरोपी की पहचान संदेह से परे स्थापित किया है। यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी उसका जीजा है तथा घटना दिनांक को आरोपी उसके यहाँ आया था, मांदी में 2-4 दिन काम के बहाने उसे अपने साथ ले जाया गया था। आगे यह व्यक्त किया है कि आरोपी ने किराए पर जीप लेकर उसे आमगहन लेकर गया तथा रास्ते में जंगल में कैम्प में उतार दिया तथा शाम के समय कैम्प की झोपड़ी में उसके साथ चाकू दिखाकर गलत काम (बलात्कार) किया तब वह रो रही थी एवं उसी समय उसका पति तुलाराम मौके पर आ गया तब वह अपने पति के साथ वापस अपने घर समरिया आ गई तथा दूसरे दिन आरोपी के विरुद्ध प्र.पी. 1 की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र गढ़ी में दर्ज कराया जाना व्यक्त किया है। साक्षी ने आगे व्यक्त किया है कि पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी. 2 एवं पटवारी द्वारा नजरीनक्शा प्र.पी. 3 एवं प्र.पी. 4 भी निर्मित किया जाना व्यक्त किया है। अभियोक्त्री ने यह भी व्यक्त किया है कि रिपोर्ट पंजीकरण के पश्चात् पुलिस ने उसका मेडिकल भी कराया था।

6. बचाव पक्ष से यह तर्क किया है कि प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत अभियोक्त्री ने अभियोजन कथन के विपरीत न्यायालयीन बयान में बढ़ा-चढ़ाकर कथन किया है। यह भी आधार लिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार है तथा घटना के संबंध में विलम्ब से रिपोर्ट लेख कराई गई है। उक्त आधार पर अभियोक्त्री की विश्वसनीयता पर प्रबल आक्षेप किया गया है।

7. तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री के बयान की सूक्ष्म संवीक्षा की गई।

8. सर्वप्रथम लैंगिक अपराध के संबंध में विक्टिम की हैसियत एवं उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधिक स्थिति की संवीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **गुरमीत सिंह** अवलोकनीय है जिसमें निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996 Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the

evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction of her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

"The testimony of victim in cases of sexual offences is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused. Where her testimony inspires confidence and is found to be reliable seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as rule in such cases amount to adding insult to injury why should the evidence of a girl or a woman who

complains of rape or sexual molestation be viewed with doubt, disbelief or a suspicion. The court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy Its judicial conscience. Since she is a witness who is interested in the out come of the charge leveled by her but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of a accused".

9. अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने उक्त रेसियो के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।

10. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने व्यक्त किया है कि आरोपी ने उसे आमगहन जाते समय स्थानीय जंगल वन विभाग के कैम्प स्थित झोपड़ी में उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया था। जिरह में स्पष्ट किया है कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से जीप में आमगहन गई थी। जिरह के पैरा 6 में यह स्पष्ट किया है कि जब वह आरोपी के साथ झोपड़ी में थी तब उसका पति तुलाराम मौके पर आ गया था। जिरह में यह भी आया है कि जब उसका पति कैम्प में आया था तब आरोपी उसे खाट पर सुलाए हुए अथवा साथ में सोते हुए पाया था।

11. अभियोक्त्री ने जिरह में स्पष्ट किया है कि उसके पति ने उसे आरोपी के साथ देख लिया था तब उसने पति के कहने पर आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराया जाना बताई है। जिरह के पैरा 5 में यह स्पष्ट किया है कि उसके शरीर पर चाकू से कोई चोट नहीं आयी थी न ही अभियुक्त द्वारा खींचातानी किए जाने पर कोई चोट आयी थी। जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी उसकी मृतक बहन का पति है अथवा उसका जीजा है।

12. अभियोक्त्री के द्वारा जिरह में की गई स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में वह प्रस्तुत प्रकरण में एक सहमत पक्षकार होना प्रतीत होती है। तत्संबंध में तुलाराम (अ.सा.-2) ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को बच्चा बीमार था तथा उक्त दिनांक को आरोपी उसके यहाँ आया था बाद में बच्चे को ईलाज के लिये लेकर गया था, घर वापिस आने पर उसने अभियोक्त्री को नहीं पाया था एवं उसे यह जानकारी मिली थी कि अभियोक्त्री आरोपी के साथ खिरसाड़ी गई है तब वह सायकल से तलाश के लिये निकला लेकिन खिरसाड़ी में नहीं मिली, आरोपी की बहू ने बताई कि कैम्प में होंगे तब वह स्थानीय जंगल के कैम्प में गया तब रोड से पत्नि की रोने की आवाज आयी तो मौके पर जाकर देखा तो अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों एक खाट में सोए थे, कपड़े खुले हुए थे उसके बाद पत्नि को वापस लेकर चला आया तथा दूसरे दिन आरक्षी केन्द्र गढ़ी में रिपोर्ट लेख कराया जाना एवं नजरीनक्शा प्र.पी. 3 पुलिस द्वारा निर्मित किया जाना व्यक्त किया है। लेकिन साक्षी के पुलिस बयान प्र.डी. 2 में कैम्प स्थित रोड पर जाने पर पत्नि की रोने की आवाज सुनकर जाने के तथ्य के सम्बन्ध में उसके बयान में लोप है।

13. तुलाराम (अ.सा.-2) ने जिरह में स्पष्ट किया है कि जब वह अपनी पत्नि को वापिस लेकर कैम्प से निकला तो अभियोक्त्री ने उसे उक्त चोंटों के संबंध में कुछ नहीं बताया था। जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि वह वह कैम्प पहुंचा तो अभियोक्त्री और अभियुक्त खाट पर सोए हुए पाया था। अतः साक्षी तुलाराम (अ.सा.-2) के बयान का संपूर्ण पाठ करने पर प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार होना पाई जाती है।

14. डॉ. प्रीति कुमारे (अ.सा.-10) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 22.02.2015 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ रहते हुए महिला पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को लाये जाने पर उसका परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोंट के निशान नहीं पाए थे। अभियोक्त्री के द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित थे। वैजाईना में दो उंगलियां आसानी से प्रवेश कर रही थी, हाईमन पुराना रैचर था तथा बलात्कार

के संबंध में निश्चित अभिमत नहीं दिया था। अग्रिम जॉच एवं अभिमत हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास रेफर किया था। वैजाइनल स्लाइड, प्यूबिक हेयर, नीले कलर की साड़ी, हरे रंग का ब्लाउस सीलबंद कर संबंधित महिला आरक्षक को सौंप दिया था, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 14 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी जिरह में स्थिर है अर्थात् बयान में परीक्षण के समय अभियोक्त्री के शरीर पर कोई फिजिकल इजूरी नहीं पाई गई।

15. डॉ. एन. एस. कुमरे (अ.सा.-7) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 23.06.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए आरोपी लालमन का परीक्षण किए जाने पर उसके द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित पाए थे तथा आरोपी को संभोग करने में सक्षम पाया था, सीमेन न निकलने के कारण स्लाईड तैयार नहीं की थी, आरोपी के शरीर पर कोई चोट के निशान मौजूद नहीं थे, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 8 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी भी जिरह में स्थिर है।

16. श्रीमती सुलेखा मरकाम (अ.सा.-5) महिला आरक्षक ने व्यक्त किया है कि थाना गढ़ी जाकर अभियोक्त्री अभियोक्त्री के बताएनुसार प्र.पी. 1 की एफ.आई.आर. दर्ज किया जाना तथा अभियोक्त्री के कथन अभिलिखित किया जाना, कथन की विडियोग्राफी कराया जाना एवं अभियोक्त्री को मुलाहिजा हेतु प्र.पी. 8 का फार्म भरकर जिला चिकित्सालय भेजा जाना व्यक्त किया है।

17. निरीक्षक नीलेश परतेती (अ.सा.-9) ने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 23.02.2015 को अपराध क्रमांक 14/2015 की डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा निर्मित किया जाना, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी. 9 निर्मित किया जाना, आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना प्र.पी. 10 परिजन को दिया जाना एवं आरोपी को मेडिकल परीक्षण कराया जाना तथा आक्षेपित

चाकू को कैंप झोपड़ी पर तलाश कर तलाशी पंचनामा निर्मित किया जाना एवं उक्त चाकू बरामद न होना तथा अभियोक्त्री एवं आरोपी की स्लाईड को परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर प्रेषित किया जाना एवं परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया जाना व्यक्त किया है। बचाव पक्ष द्वारा विवेचक साक्षी नीलेश परतेती को यह सुझाव दिया गया है कि उन्होंने साक्षियों के बयान उनके अनुसार न लिखकर अपनी मर्जी से लिखा है जिसे साक्षी ने खारिज किया है।

18. चैनसिंह धुर्वे (अ.सा.-8) प्रधान आरक्षक ने आरोपी की स्लाईड सीमेन स्लाईड एवं अभियोक्त्री की वैजाइनल स्लाईड जप्त कर किया जाना तथा जप्ती पत्र प्र.पी. 6 एवं प्र.पी. 7 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। इसी प्रकार आरक्षक पृथ्वीराज (अ.सा.-4) एवं आरक्षक पन्नालाल मराठी (अ.सा.-6) ने जिला चिकित्सालय बालाघाट से प्राप्त स्लाईड को आरक्षी केन्द्र गढ़ी लाकर चैनसिंह धुर्वे को जप्त कराना एवं जप्ती पत्र प्र.पी. 6 एवं प्र.पी. 7 पर अपने-अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण जिरह में स्थिर है।

19. एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी. 13 में यह आया है कि अभियोक्त्री की वैजाइनल स्वाव में मानव शुक्राणु पाए गए हैं। लेकिन उक्त आधार पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। चूंकि अभियोक्त्री एक विवाहिता स्त्री है। अतः उसके द्वारा अपने पति के साथ Sexual Inter course किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

20. अभिलेख के सूक्ष्म परीक्षण से पाया जाता है कि अभियोजन ने आक्षेपित स्पर्मेटोजोवा की डी.एन.ए. प्रोफाईलिंग डी.एन.ए. विशेषज्ञ से प्राप्त कर अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किया है अर्थात् अभिलेख पर यह नहीं आया है कि अभियोक्त्री की स्लाईड में पाया गया स्पर्मेटोजोवा की डी.एन.ए. प्रोफाईलिंग आरोपी के डी.एन.ए. प्रोफाईलिंग से मेल खाती है अथवा उक्त स्पर्मेटोजोवा की Origin के संबंध में डी.एन.ए. रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किया है। उक्त तथ्य अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

21. उक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (1), 506 (भाग-दो), 323 भा.द.वि. के अंतर्गत अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है। फलस्वरूप आरोपी लालमन पिता स्वर्गीय बिसाहू मरावी को धारा 376 (1), 506 (भाग-दो), 323 भा.द.वि. के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

22. आरोपी लालमन के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

23. मामले में जप्त संपत्ति स्लाईड अपील अवधि पश्चात् अन्यथा आदेश न होने पर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

मेरे डिक्टेसन पर मुद्रित।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

दिनांक :- 28 जून 2018

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर